कार्यालय : जिलाधिकारी लखनऊ

सं0 176/अ0जि0अ0(भू0अ0)/न0म0पा0–1, दिनांक 29, मई 2018

अधिसूचना

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम– 2013 की धारा– 4 (भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार (उत्तर प्रदेश) नियमावली 2016 नियम 3(1) के अधीन राज्यपाल सर्वसाधारण की सूचना के लिए अधिसूचित करते हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि लोक प्रयोजन अर्थात जिला लखनऊ में लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लखनऊ द्वारा संचालित लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना हेतु स्थाई रूप से आवश्यकता है।

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम– 2013 के प्रावधान के अन्तर्गत भूमि अर्जन की कार्यवाही से पूर्व चयनित एजेन्सी (गिरि विकास अध्ययन संस्थान, अलीगंज, लखनऊ) द्वारा लोक हित में सामाजिक समाघात आंकलन (Social Impact Assessment) किया जायेगा, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

1	**अपेक्षक निकाय का नाम**	लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन, लखनऊ
2	**प्रस्तावित भूमि के अर्जन का उद्देश्य**	लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना
3	**संगठन जिसके द्वारा अध्ययन किया जायेगा।**	गिरि विकास अध्ययन संस्थान, अलीगंज, लखनऊ।
4	**संगठन का सम्पर्क विवरण**	गिरि विकास अध्ययन संस्थान, सेक्टर– ओ, अलीगंज, लखनऊ। दूरभाष : 0522–2321860, 2325021, 2334059, 2324294 फैक्स : 0522–2332640 ग्राम ग्रीन्सट, ई–मेल– gids@sancharnet.in वेबसाईट : http://gids.org.in
5	**भूमि का विवरण**	

	जिला	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
1	लखनऊ	सरोजनीनगर	फर्रूखाबाद चिल्लांवा	446	626.00
				योग	**626.00**
2		लखनऊ	कनौसी	957 P	94.16
				योग	**94.16**
3			हाता रसूल खां	679 P	326.70
4				258 P	33.457
5				250 P 251 P	66.170
6				194 P 252 P	42.290
				योग	**468.617**
7			शेखपुर कसैला	95	409.80
				योग	**409.80**
				Grand Total	1598.577

1: प्रस्तावित परियोजना प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा प्रस्तावित लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना से सम्बन्धित है। इस परियोजना से राजधानी मे आवागमन की सुबिधा सुगमता व सरलतापूर्वक कम समय में पूर्ण होगी।

2: प्रस्तावित परियोजना, लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना का सरेंखण लगभग 23 किलोमीटर है, जिसमें 42,420.979 वर्गमीटर भूमि प्रभावित है।

3: परियोजना के सरेंखण में आने वाली शासकीय/संस्थाओं की भूमि सम्बन्धित विभाग/ संस्था से हस्तान्तरण के माध्यम से और परियोजना से प्रभावित प्राईवेट लगभग 96 प्रतिशत भूमि सम्बन्धित भू–स्वामियों से सहमति के आधार पर परियोजना के पक्ष में क्रय की जा चुकी है। अवशेष भूमि, अर्जन के माध्यम से लिया जाना प्रस्तावित है। सामाजिक समाघात आंकलन हेतु चयनित एजेन्सी (गिरि विकास अध्ययन संस्थान, अलीगंज, लखनऊ) द्वारा सामाजिक समाघात आंकलन रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रवन्धन योजना निर्धारित समय सीमा के अन्दर (टी0ओ0आर के अनुसार) अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।

4: सामाजिक समाघात का निर्धारण अधिकतम 60 दिनों के अन्दर (अधिसूचना की तिथि से) पूर्ण कराया जाना है।

टिप्पणी : उक्त परियोजना सम्बन्धी विस्तृत विवरण कलेक्टर (भूमि अर्जन प्रयोजनार्थ), (कार्यालय अपर जिलाधिकारी (भूमि अर्जन), नगर महापालिका– प्रथम, 6 जगदीश चन्द्र बोस मार्ग, लालबाग, लखनऊ के कार्यालय में सभी कार्य दिवसों में देखा/प्राप्त किया जा सकता है।

(कौशल राज शर्मा)
जिलाधिकारी,
लखनऊ।